# प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश शासन के कृषि, पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लोक निर्माण, गृह (पुलिस), आवास एवं शहरी नियोजन, सिंचाई, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास, राजस्व, व्यावसायिक शिक्षा विभागों की जनरल एवं सोशल सेक्टर सेवाओं/आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत निष्पादन लेखापरीक्षा और/अथवा लेन–देनों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष अर्न्तविष्ट हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2012–13 की अवधि हेतु की गई नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ, पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों, जो विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, के साथ ही वर्ष 2012–13 की अवधि के पश्चात् के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुरूप सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है ।